तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
24/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्र० पत्र दिनांक 28/04/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 24/2/25
28/04/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रपत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा- 212 RT Act ~~को~~ adjudicate करने के लिये इस निम्न बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) <u>प्रकरण प्रथम द्वारा</u> :- आर्थि प्रार्थीगण द्वारा बहस प्रपत्र के दौरान कथन किया कि ग्राम सालरी की वादग्रस्त भूमि ख० नं० 825 रकबा 1·8084 hae प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी है। जिसके लगवा दक्षिण दिशा मे अप्रार्थीगण की भूमि ख० नं० 827 स्थित है। अप्रार्थीगण की इस भूमि से लगवा पूर्व दिशा मे ख० नं० 826 व 828 स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के लगवा उत्तर दिशा में सालरी की मुख्य सड़क ख० नं० 813 है। मुख्य सड़क ख० नं० 813 से ख० ~~नं०~~ 825 के पूर्वी छोर से सहारे दक्षिण दिशा मे एक आम रास्ता ख० नं० 830 जाता है। इसी रास्ते से ख० नं० 1196/765 की उतरी मेड से होकर अप्रार्थीगण अपनी आराजी ख० नं० 827 तक पहुंचते आ रहे है। आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण को रिकार्डेड खातेदार- प्रार्थी की भूमि ख० नं० 825 से होकर जबरन निजी रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] [illegible] रास्ता निजी है, कदीमी या प्रचलित आम [illegible] है। आमजन के हित मे नही [illegible] निजी लाभ [illegible] लिए है अतः रिकार्डेड खातेदार के [illegible] निजी रास्ता बनाने [illegible] अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण प्रथम द्वारा [illegible] के पक्ष मे है। आगे अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम सालरी के मुख्य सड़क

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
ख० न० 803 से होकर प्रार्थीगण की भूमि ख० न० 825 के लगभग मध्य से होकर ख० न० 826 तक और फिर ख० न० 826 की उत्तरी मेड़ से होकर अप्रार्थीगण की भूमि ख० न० 827 तक वर्षों से मौके पर रास्ता बना हुआ है जिसे ख० न० 826 के खातेदार भी उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। मौके पर बने रास्ते के photograph पेश है। इस प्रचलित रास्ते को प्रार्थीगण ने ख० न० 825 में तार बाउन्ड्री एवं बाड़ लगाकर बंद कर दिया है जिसे तहसीलदार रायपुर द्वारा आम रास्ता मानकर दिनांक 27/06/2024 द्वारा खुलासा कराया गया था अतः प्रचलित आम रास्ते को बंद कर खेत को पड़त रखने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं होने से प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में है (AW1 से AW3 पेश है)	
अभि० प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस में कथन किया कि तहसीलदार ने प्रार्थी को सुने बिना एक प्रशासनिक आदेश से जबरन रास्ता चालू कराया था जबकि किसी की निजी खातेदारी की भूमि से होकर किसी के निजी फायदे हेतु रास्ता खुलवाना गलत है। अप्रार्थीगण को स्वयं के लिए रास्ता चाहिए तो धारा – 251 A RT में आवेदन कर New way लेना चाहिए। आगे कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा पेश किये है वे किस गांव की किस भूमि के है – स्पष्ट नहीं है।	
अभि० अप्रार्थीगण ने लिखित बहस में कथन किया कि तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनने व मौके की स्थिति को ध्यान में रखकर नियमानुसार रास्ता खुलवाया था। मौके पर प्रार्थीगण ने अनावश्यक Nuisance भी उत्पन्न किया था। अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] maps से भी बाड़ग्रस्त रास्ते के photograph [illegible] जिसमे यह रास्ता बिल्कुल [illegible] विगत 30 वर्षों से प्रचलित है जिसे धारा [illegible] 251 RT Act में खुलवाना TDR का अधिकार है। (NAW1 पेश है)	
उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	गया। ग्राम सालरी की नाल जमाबंदी के अनुसार ख०न० 825 रकबा 1.8084 hac प्रार्थीगण के साथ 04 अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी मे दर्ज है। कुल 08 सहखातेदारो मे से केवल 01 सहखातेदारो/प्रार्थीगण द्वारा यह प्रा०पत्र पेश किया है। अत: साबित है कि प्रार्थीगण ख०न० 825 के recorded co-tenants है। वादग्रस्त आराजी के लगता दक्षिण दिशा मे ख०न० 826 व 827 स्थित है। अप्रार्थीगण ख०न० 827 के recorded co-tenants है। इनके अतिरिक्त 05 अन्य सहखातेदार भी है जिन्हे प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण की आराजी के लगता उत्तर दिशा मे ग्राम सालरी की मुख्य सड़क ख०न० 813 है।
	प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण इस fact पर सहमत है कि मुख्य सड़क ख०न० 813 से एक कच्चा रस्ता ख०न० 825 के मध्य से होकर दक्षिण मे स्थित खेत ख०न० 826 तक बना हुआ है और मौके पर चालू है। प्रार्थीगण द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के GPS मैप/view से भी स्पष्ट है कि मुख्य सड़क से लेकर ख०न० 826 तक ख०न० 825 में होकर मौके पर कच्चा प्रचलित रास्ता बना हुआ है, तथापि यह राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। इससे आगे ख०न० 826 की उत्तरी मेड व ख०न० 825 की दक्षिणी मेड के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर ख०न० 827 तक अस्थाई रस्ता बना रखा था जो वर्तमान मे बंद है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी स्वयं मौका देखा गया है। ख०न० 825 मे होकर बना रास्ते का उपयोग आमजन (public at large) द्वारा नही किया जाकर केवल ख०न० 826 व 827 के काश्तकारों द्वारा ही किया जाता है। ख०न० 825 की दक्षिणी मेड पर ख०न० 825 तक के अस्थाई रास्ते का उपयोग सिर्फ अप्रार्थीगण करते है, public at large द्वारा नहीं किया जाता है। अतः यह ना तो कदिमी रास्ता है और ना ही कटानी रास्ता है, ना ही आम रास्ता है। उभय पक्ष बहस के दौरान इस fact पर सहमत थे कि ख०न० 825 के मध्य से लेकर बना रास्ता, ख०न० 825 के खातेदारान-प्रार्थीगण की

जिला ... अधिकारी ... झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुकम की तालीम में जारी हुए

सहमति से 20-25 वर्षों पूर्व से खसरा नं० 826 व 827 द्वारा उपभोग व उपयोग किया जा रहा था। यह प्रार्थीगण की सहमति से सुविधा के लिये बनाया था। जिसे आगे भी चालू रखने के लिये रिकार्डेड खातेदारान/प्रार्थीगण को legally bind नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थीगण द्वारा पेश राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट दिनांक 28/06/2024 मे वादग्रस्त रास्ते को 50 वर्षों से प्रचलित आम रास्ता (public way) बताया है जबकि इसका उपयोग व उपभोग public at large द्वारा नहीं किया जाकर केवल ख०नं० 826 व 827 के खातेडारान द्वारा ही किया जाता है (private use) यदि खातेदारान - अप्रार्थीगण के प्रार्थीगण की भूमि ख०नं० 825 की दक्षिण मेड के सहारे (ख० नं० 826 के लगता) रास्ता (Approach way) चाहिए तो धारा-251A RT Act के अधीन सक्षम न्यायालय मे प्रा० पत्र पेश कर सकते है। खातेदारान/प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे की भूमि ख०नं० 825 से private way देने के लिये कानूनी रूप से बाध्य/पाबंद नहीं किया जा सकता है।

प्रार्थीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत विद्या देवी Vs state of HP RRT 2020 (1) में अभिनिर्धारित किया गया है कि "बिना विधिक प्रक्रिया के राज्य एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता है", इसी प्रकार Trilokchand Vs Smt Vimla Devi 2007 (1) RRT 103 मे अभि-निर्धारित किया गया है कि "No T.I. can be granted against the recorded Khatedar."

अप्रार्थीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत chunni Lal Vs Lalchand & ors 2009-10 (Supp) RRT [illegible] माननीय राजस्व मंडल ने अभिनिर्धारित किया है कि [illegible] निजी की आड़ मे चालू रास्ते (way in use) को बंद नहीं किया जा सकता है"।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ख० नं० 825 मे उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य सड़क (ख०नं० 813) से ख०नं० 826 तक बने करीब 20-25 वर्षों से अधिक पुराने व मौके पर स्पष्टतः चालू रास्ते के हटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, [illegible] जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तक तो प्रकरण प्रार्थीगण के विरुद्ध और इसके आगे ख० नं० 826 की उत्तरी मेड़ के सहारे ख० नं० 825 में पूर्व से पश्चिम की ओर ख० नं० 827 तक बने अस्थाई व वर्तमान में बंद रास्ते के हद तक प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकरण प्रथम द्रष्टया साबित होता है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- मुख्य सड़क ख० नं० 813 से दक्षिण में ख० नं० 826 तक प्रार्थीगण की मर्जी ख० 825 के करीब मध्य से होकर बने 20-25 वर्षों से अधिक पुराने एवं स्पष्टत: मौके पर चालू (प्रचलित) रास्ते को खातेदारान/प्रार्थीगण द्वारा बंद करने की T.I. Grant करने पर सुविधा संतुलन प्रार्थीगण की अपेक्षा ख० नं० 826 के खातेदारान व ख० नं० 827 के खातेदारान के पक्ष में होगा। लेकिन ख० नं० 826 से आगे पश्चिम की ओर ख० नं० 827 तक बने बंद व अस्थाई/व्यवस्थार्थ रास्तों के पक्ष में स्थगन जारी करने से ख० नं० 825 के recorded Khatedar के हक व अधिकारों का ~~विरुद्ध~~ हनन होगा। किसी रिकॉर्ड खातेदार को जबरन किसी को बिना compensation भुगतान किये अचानक उसकी property से वंचित या बेदखल करना न्यायोचित नहीं है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी मौका देखने पर केवल मुख्य सड़क से लेकर ख० नं० 826 तक बना रास्ता ही clearly प्रचलित (मौके पर) वर्षों पुराना रास्ता जाहिर हुआ जबकि ख० नं० 826 से 827 की ओर ख० नं० 825 की दक्षिण मेड़ से होकर बना रास्ता, अस्थाई व व्यवस्थार्थ बना नियमी रास्ता जाहिर हुआ जो बंद भी था। अत: प्रकरण में मुख्य सड़क से ख० नं० 826 तक बने प्रचलित व वर्षों पुराने रास्ते के ... सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के विरुद्ध एवं ख० नं० 825 ... मेड़ के सहारे ख० नं० 826 से ... तक ... प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

(स) अपूरणीय क्षति :- रिकॉर्डेड खातेदारान प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की आराजी ख० नं० 825 की दक्षिण मेड़ के सहारे अप्रार्थीगण को मर्जी तक रास्ता देने से प्रार्थीगण (without compensation) को अपूरणीय क्षति

खण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कारित होगी।	

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र धारा 212 RT आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे ख० नं० 813 (मुख्य सड़क) से ख० नं० 825 के करीब मध्य से होकर ख० नं० 826 तक बने बहुत पुराने व मौके पर प्रचलित रास्ते को बंद/अवरोधित नहीं करे। अप्रार्थीगण को भी तायैसला-मूलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की भूमि ख० नं० 825 की दक्षिणी मेड़ के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर बिना just and fair compensation का भुगतान किये रास्ते का निर्माण नहीं करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

28/4/25
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner